संख्या-1346/2026/2500/22-2-2025-17(78)/2017

प्रेषक,
कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चेतराम पुत्र श्री रामबहादुर, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-47880/प्रो०अनु०(2)-309/2025 (बैठक दिनांक-19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चेतराम पुत्र श्री रामबहादुर, जो ग्राम-मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 10.03.2001 को प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण अभियुक्त ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, देसी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिससे मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 147, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 किमिनल लॉ एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी० एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनॉक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 08 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 31 वर्ष, 06 माह, 12 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.12.2025 तक 48 वर्ष 10 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0 जे0 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं होने, बंदी के भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी पुनः अपराध कर सकने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.11.2025 में संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 10.03.2001 को प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण अभियुक्त ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, देसी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिससे मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्त्यिों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चेतराम पुत्र रामबहादुर को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चेतराम (बन्दी संख्या-39024) पुत्र श्री रामबहादुर, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1346/2026/2500(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasnade

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।